रा.मु., उदयपुर

ते. प. यो. 26

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रेता का इकरारनामा

{निविदा सूचना की शर्त 16}

यह इकरारनामा आज, दिनांक ..... माह ..... सन् ..... को प्रथम पक्ष ..... के मार्फत कार्य करते हुये राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें इसके आगे "राज्य सरकार" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उनके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकित सम्मिलित होगें) तथा द्वितीय पक्ष श्री ..... आत्मज..... ग्राम.....तहसील ..... जिला..... (जिन्हें इनके आगे "क्रेता" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उसके दायाद उत्तराधिकारी प्रतिनिधि तथा अभिहस्तांकिती सम्मिलित होगें) के मध्य किया जाता है।

चूंकि तेंदू पत्तों का व्यापार, राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों द्वारा होता है।

और चूंकि राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये विभिन्न इकाईयों के क्रेताओं की नियुक्ति करने की इच्छुक है,

और चूंकि राज्य सरकार इसमें इसके पश्चात् दिये हुए निबन्धनों तथा शर्तों पर क्रेता की पेशकश को प्रति ग्रहित कर लिया है और उसे .....वन मण्डल में इकाई क्रमांक ....में 31 जनवरी 20 ..... की समाप्त होने वाली अवधि के लिये क्रेता के रूप में नियुक्त करने के लिये रजामन्द हो गई है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित वार्ता का साक्षी और इसके संबंधित पक्ष एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप से परस्पर करार करते है :–

1. .....वन मण्डल की इकाई क्रमांक .....में जिसे अनुसूची "क" में अधिक पूर्णता से वार्णित किया गया है जो (इसमें/इसके आगे "इकाई" के रूप में निर्दिष्ट है) क्रेता राजकीय वन तथा भूमियों से तेन्दू पत्ते का संग्रहण करेगा तथा इकाई के निजी उत्पादक से राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा क्रय किये गये पत्तों की सम्पूर्ण मात्रा जिसकी पेशकश की गई हो का परिदान लेगा।

2. यह करार .....से प्रारम्भ होगा और दिनांक .....तक प्रवृत रहेगा जब तक कि यह इस करार के निबन्धनों तथा शर्तों के अनुसार ही पूर्व ही परिवर्तित न कर दिया जावें।

3. इस इकरार के संबंध में यही और सदैव यही समझा जायेगा कि वह राजस्थान तेन्दू पत्ते (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 के और उसके अधीन बनाये गये नियमों के और उक्त अधिनियम तथा नियमों के अधीन समय--समय पर जारी किये गये आदेशों तथा अधिसूचना के तथा साथ ही निविदा सूचना के निबन्धनों तथा शर्तों के जो सब इस इकरार के भाग होंगे, और उसके भाग बन गये समझे जायेंगे और जिनका यह अर्थ लगाया जायेगा कि वे इस प्रलेख में निर्दिष्ट रूप से उपबन्धित है, उपबन्धों के अधीन है।

4. क्रेता एतद्द्वारा राज्य सरकार के साथ नियमानुसार अभिव्यक्ति रूपेण करार करता है :—

(क) (I) क्रेता राजकीय वनों तथा भूमियों से .....प्रति मानक बोरा की दर से सग्रंहण किये गये तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा एवं राज्य सरकार द्वारा या उनके पदाधिकारी, अभिकर्ता द्वारा 31.01.20..... को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान हरे कच्चे, बिना बोरे भरे, निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत किये गये तेन्दू पत्ते के लिये.....रूपये क्रय राशि की अदायगी करेगा जिसमें सैल्स टैक्स तथा अन्य कर एवं संग्रहण व्यय शामिल नहीं है।

(II) क्रेता तेन्दू पत्ता सग्रंहण के समय तेन्दू वृक्ष की छोटी डालियों, कच्ची पत्तियों को अनावश्यक रूप से क्षति नहीं पहुंचायेगा। अगर क्रेता इस प्रकार की त्रुटि ठेका सत्र में 3 बार करेगा तो संबंधित मण्डल वन अधिकारी को ठेका समाप्त करने का अधिकार होगा।

(III) क्रेता सलाहकार समिति द्वारा निर्धारित संग्रहण दर से ही प्रतिदिन श्रमिकों को देय पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगा।

नोट :— क्रेता उनको दी जाने वाली प्रति मानक गड्डी में 5 पत्तों की कमी—पेशी के बाबत कोई आपत्ति नहीं उठायेगा।

(ख) (I) क्रेता निजी उत्पादकों से इनमें इसके पश्चात् उल्लेखित की गई रीति से क्रय मूल्य की देनगी करने के पश्चात तुरन्त ही पत्ते इकटठे होने के दिन से दो दिन के भीतर, इकाई में संग्रह केन्द्र या केन्द्रों पर अनुसूची (ख) में, वार्णित स्थानों पर जो सहायक वन संरक्षक से निम्न पदाधिकारी न हो द्वारा समय—समय पर प्रज्ञापित किया जावे, तेन्दू के पत्ते का परिदान लेगा, उपरोक्त अभिप्राय के लिए खरीददार अग्रिम अदायगी करेगा जिसका कि समायोजन परिदान के समय में किया जावेगा।

(II) उपरोक्त प्रयोजन के लिये क्रेता को प्रत्येक संग्रहण केन्द्रों में एक प्रतिनिधि रखना होगा, जिसे पत्तों के संग्रह करने की तिथि से दो दिन के भीतर ही पत्तों का परिदान लेना होगा। इकाई में पत्तों का संग्रहण प्रारम्भ होने के पूर्व नमूने के हस्ताक्षरों सहित प्रतिनिधियों के नाम मण्डल वन अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।

(III) यदि क्रेता इसके आगे उपबन्धित रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करने तथा संग्रहण की तिथि से दो दिन के भीतर पत्तों का परिदान लेने में असफल रहता है तब मण्डल वन अधिकारी ऐसे पत्तों की समस्त या आंशिक मात्रा का अपने स्वविवेक से —

(अ) क्रेता को परिदान अस्वीकृत

अथवा

(ब) किसी भी अन्य व्यक्ति को परिदान

अथवा

(स) क्रेता को ही निगरानी खर्च बतौर रूपया 1/— (एक रूपया) प्रति मानक बोरा अतिरिक्त धन राशि की वसूली करने के पश्चात परिदान और/अथवा

(द) उल्लघंन के लिये करारनामे में उपबन्धित कोई भी कार्यवाही कर सकता है। यदि यथास्थिति राज्य सरकार, उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता ऐसे पत्तों को जो कि क्रेता को बाद में परिदत्त किये जांय की सुखाई तथा बोरों में भराई का निश्चित खर्च का क्रेता भुगतान करेगा तथा उनका निर्णय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(ग) यदि क्रेता नीचे वर्णित (घ) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों से संग्रहित पत्तों को एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर उसे (क्रेता को) परिदान हेतु प्रस्तुत पत्तों को अपने गोदाम में निरापद रखने के लिये इच्छुक नहीं होता तो वह उपरोक्त समस्त तेन्दू पत्तों की संग्रहण केन्द्रों से निकासी करने के पूर्व मूल्य का भुगतान नीचे निर्दिष्ट रीति से करेगा।

(एक) क्रेता निजी भूमि से परिदान के लिये सम्भावित मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी अथवा उप वन संरक्षक द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा उससे पूर्व नकद में भुगतान ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके करना होगा।

मद (1)	दर प्रति मानक बोरा (2)
1. राज्य सरकार को छोडकर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	.....रूपये
2. राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय	.....रूपये
3. राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	.....रूपये

(दो) क्रेता संग्रहण केन्द्रो से समस्त तेन्दू पत्ता की निकासी करने से पूर्व क्रॉस्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा पूर्ण मूल्य/पूर्ण मूल्य की शेष राशि का भुगतान करेगा।

(घ) (I) यदि क्रेता उसके द्वारा राजकीय वन तथा भूमियों, से संग्रहित एवं राज्य सरकार उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत तेन्दू पत्तों की समस्त मात्रा को प्रदेश के भीतर गोदाम (मों) में उप वन संरक्षक द्वारा इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिये लिखित में सहमत होता है अथवा परिदत पत्ते वन विभाग से संबधित गोदाम (मों) ऐसी शर्तों तथा निबन्धनों पर जैसे कि पारस्परिक सहमति द्वारा विनिश्चित किया जावे अथवा क्रेता परिदत पत्तों को प्रदेश के किसी अन्य वन मण्डलों में स्थित अपने गोदाम (मों) में संबंधित उप वन संरक्षक जिसके क्षेत्राधिकार में वह इकाई स्थित हो, से अनुमोदित कराके निरापद रखने के लिये लिखित रूप से सहमति देता है तथा जब तक गोदामों में रखे जाने वाले पत्तों के बाबत सम्पूर्ण रकम जमा नहीं हो जाती तब तक उसके पर्याप्त नियन्त्रण के लिए एक फोरेस्ट गार्ड के रखने में उस पर लगने वाले समस्त निरीक्षण व्यय रूपये ..... प्रति माह की दर से तथा उसमें समय–समय पर होने वाली वृद्धि सहित वहन करने एवं उस रकम को अग्रिम रूप से तथा उसे जमा करने की लिखित रूप से सहमति देता है तो वह नीचे निर्दिष्ट रीति से क्रय मूल्य का भुगतान करेगा :–

(एक) क्रेता, राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता द्वारा निजी उत्पादकों से क्रय कर परिदान हेतु प्रस्तुत किये गये तेंन्दू पत्तों की मात्रा के लिये अधोलिखित दरों से परिक्षेत्राधिकारी को अथवा उप वन संरक्षक द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी को परिदान के समय अथवा उसके पूर्व नकद में भुगतान करेगा ऐसे पदाधिकारी से रसीद प्राप्त करके रखना होगा।

मद (1)	दर प्रति मानक बोरा (2)
1. राज्य सरकार को छोडकर अन्य उगाने वालों से पत्ता खरीद की दर	.....रूपये
2. राजकीय अभिकर्ता को देय हस्तन व्यय	.....रूपये
3. राजकीय अभिकर्ता को देय पारिश्रमिक	.....रूपये

(दो) निविदा शर्त संख्या 20 (1) अनुसार क्रय देय क्रय राशि एवं बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा एवं उसके पश्चात दखल प्राप्त करेगा।

(तीन) क्रेता शेष क्रय मूल्य का निविदा शर्त सं. 20 (2) के अनुसार अनुमानतः तीन बराबर की किस्तों में क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करेगा।

किस्त	राशि	भुगतान की तिथि
(1)	(2)	(3)
पहली किस्त		1 अक्टूबर
दूसरी किस्त		1 नवम्बर
तीसरी किस्त		1 दिसम्बर

बैंक गारंटी से किश्तों की वसूली की सहमति पर क्रेता को गोदाम में रखे समस्त पत्तों का क्रेता की सुविधानुसार परिदान किया जायेगा।

(घ) (2) पत्ते क्रेता की अभिरक्षा देखरेख पर्यवेक्षक तथा जोखिम लेकिन उप वन संरक्षक के नियन्त्रण में रखे जावेगें और इस शर्त पर कि गोदामों में विभागीय ताला लगाकर अथवा किसी ऐसी अन्य प्रक्रिया द्वारा जैसा कि उप वन संरक्षक ने आदेशित की हो उप वन संरक्षक अथवा क्षेत्रीय अधिकारी को अधिगमन तथा नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकार होगा।

(घ) (3) गोदाम पक्के होंगे तथा ऐसी धन राशि के बराबर के लिए बीमा शुदा होंगे जो कि क्रेता के ऊपर सम्भवतः बकाया होगी बीमा की गई धन राशि के अतिरिक्त वह जहॉ वन विभाग की गोदाम (मों) में किराये पर ली जाती है, उनका बीमा उनके निर्माण के व्यय के बराबर की धनराशि का करायेगा।

(घ) (4) ऐसी किस्त या किस्तों के संबंध में जो उपर्युक्त उप--खण्ड (तीन) में वर्णित नियम दिनांक या दिनांकों को न चुकायी जाये/जायें, 16% की दर से ब्याज वसूल किया जायेगा।

(घ) (5) निर्धारित तिथि को किश्त की अदायगी क्रेता द्वारा नहीं किये जाने पर उसके द्वारा वन मण्डल में जमा की गई बैंक गारन्टी में से देय राशि की वसूली की जावेगी एवं इस स्थिति को निविदा शर्तों का उल्लघंन माना जावेगा एवं प्रतिभूति राशि जप्त कर क्रेता को काली सूची में डाला जावेगा।

(ड) (1) उपयुक्त उप खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन देय रकम के अतिरिक्त यथास्थिति राजस्थान सेल्स टैक्स एक्ट 1956 (राजस्थान अधिनियम संख्या 29, 1954) और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 74, सन् 1956) के उपबन्धों के अनुसार वन विभाग द्वारा देय विक्रय कर उपर्युक्त उप--खण्ड (ग) और या (घ) के अधीन देय क्रय मूल्य दिये जाने के समय क्रेता द्वारा चुकाया जावेगा।

(2) उप खण्ड (ग) तथा (घ) के अधीन शोध्य रकम या किस्त जैसी भी दशा हो तब तक चुकाई गई नहीं समझी जावेगी जब तक कि उसके साथ देय बिक्रीकर {देखिये उप--खण्ड (ड) (1)} भी पूर्णतः न चुका दिया गया हो क्रेता पश्चातवर्ती दायित्वों के लिये भी यदि कोई हो जिसमें कि इस इकरार के अधीन उसको बेचे गये तेन्दू पत्तों के संबंध में राज्य सरकार के विक्रय कर विभाग या केन्द्रीय सरकार या वन विभाग द्वारा विक्रय कर के मुद्दे अधिरोपित की गई अतिरिक्त धन राशियों की देनगी सम्मिलित हो उत्तरदायी होगा।

(च) राज्य सरकार या उसका पदाधिकारी या अभिकर्ता क्रेता का पत्तों के संग्रहण--परिदान के पश्चात राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) नियमावली, 1974 के प्रारूप (ड) में उसका विक्रय का प्रमाण पत्र मंजूर करेगा।

(छ) यदि पूर्वोक्त एवं निविदा सूचना में निर्दिष्ट परिदान तथा क्रय की शर्तों का पूर्णतः पालन/परिपालन नहीं किया जाता है तो पत्तों को परिदत्त तथा क्रय किया गया नहीं समझा जावेगा।

(ज) क्रेता राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और इन्डियन फोरेस्ट एक्ट, 1927 (भारतीय वन अधिनियम 1927) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के द्वारा या अधीन जहां तक कि वे इस इकरार के सन्दर्भ में लागू होते हो, उसके द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित समस्त कार्य तथा कर्तव्यों को करने तथा निर्दिष्ट किये गये किसी कार्य के स्वयं द्वारा या उसके सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा किये जाने से विरत रहने के लिए स्वयं को आबद्ध करता है और अपने द्वारा अपने सेवकों तथा अभिहस्तांकितियों द्वारा इस इकरार के निबन्धनों तथा शर्तों के सम्यक् पालन तथा अनुपालन किये जाने के लिये उक्त वन पदाधिकारी के पक्ष में निक्षिप्त की गई .....रूपये (रूपये.....) की राशि में प्रतिभूति देगा। क्रेता यह और भी करार करता है कि ऐसी प्रत्येक चूक के लिए राज्य सरकार को 500/– (पांच सौ) रूपये की धन राशि की देनगी करेगा जो उसके द्वारा की गई हो अथवा ऐसे प्रत्येक के लिये जो कि राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों अथवा इस इकरार का उल्लघन करते हुए, उसके द्वारा नियोजित किए गए व्यक्तियों द्वारा किये गए है।

(झ) यदि क्रेता करार की किसी भी शर्त को भंग करे, और यदि किसी भंग के कारण इकरार को समाप्त करने प्रस्तावित न हो तो उप वन संरक्षक प्रत्येक भंग के लिए ऐसी शास्ति जो 500/– (पांच सौ) रूपये से अधिक न हो अधिरोपित कर सकेगा। नकद शास्ति की राशि 200/– (दो सो) रूपये से अधिक हो, तो इस आदेश के विरूद्ध अपील वन संरक्षक को इस आदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर की जा सकेगी, जिसका कि विनिश्चय अन्तिम तथा बन्धनकारी होगा।

(ञ) यदि क्रेता अदायगी करने में या इस प्रलेख के उपबन्धों में से किसी भी उपलब्ध का अनुवर्तन करने में चूक करता है, तो ऐसे किन्हीं भी अन्य अधिकारों तथा उपचारों पर जो कि राज्य सरकार को प्राप्त हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संभागीय मुख्य वन संरक्षक अपने विकल्प पर इस करार को समाप्त कर सकेगा तथा पूरे प्रतिभूति निक्षेप का अधिहरण कर सकेगा और राज्य सरकार या उसके पदाधिकारी या अभिकर्ता या क्रेता के पास पडे हुये तेन्दू पत्तों के अपरिदत्त स्टाक को और/अथवा उपरोक्त शर्त (4) (घ) के अनुसार गोदाम में रखे तेन्दू पन्तों को यदि कोई हो जब्त कर पुनः बेच सकेगा यदि ऐसे पुनः विक्रय पर प्राप्त हुआ मूल्य ऐसे अपरिदत्त स्टाक या गोदाम में रखे स्टाक के क्रय मूल्य से कम होता है तो अन्तर की देनगी क्रेता द्वारा मांग सूचना में उपदर्शित की गई राशि की देनगी के लिये उप वन संरक्षक द्वारा जारी की गई मांग सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर की जावेगी। यदिं वह अन्तर राशि 15 दिन की उपर्युक्त कालावधि के भीतर न चुकाई जाये तो वह क्रेता से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली की जावेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार क्रेता को ऐसी अवधि के लिये जो पांच साल से अधिक नहीं हो, काली सूची में अंकित कर सकेगी। परन्तु यदि पश्चातवर्ती निवर्तन में अधिक राशि प्राप्त होती तो उस अधिक राशि पर क्रेता का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. क्रेता ऐसे प्रपत्रों पर ऐसा लेखा रखेगा तथा ऐसी पाक्षिक विवरणियों, ऐसी तिथियों को प्रस्तुत करेगा जैसा कि अनुसूची (ग) में वर्णित है तथा जैसा कि उप वन संरक्षक द्वारा निर्धारित की जाय तथा उप वन संरक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना करेगा।

6. यदि क्रेता नियुक्ति होने पर इकाई में सम्मिलित क्षेत्र में शाख कर्तन (कल्चरल आपरेषन) करना चाहता है तो वह राज्य सरकार से कोई खर्च पाने के अधिकार के बिना तथा जब तक कि राज्य सरकार अथवा असके पदाधिकारी अथवा अभिकर्ता द्वारा एकत्रित पत्ते क्रेता को परिदत्त नहीं किये जाते इकाई के पत्तों में राज्य सरकार के स्वत्वाधिकार पर किसी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कर सकेगा। परन्तु शाख कर्तन (कल्चरल आपरेशन) उप वन संरक्षक द्वारा लिखित में अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही तथा ऐसी अन्य विधि तथा ऐसी कालावधि के दौरान की जायगी जैसा कि उनके द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाये।)

7. यदि निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों का उल्लघंन नहीं पाया जाता है एवं प्रतिभूति निक्षेप या बैंक गारण्टी से किश्त राशि में समायोजन नहीं कराया है तो करार अवधि समाप्ति उपरान्त या निविदाकार की सुविधानुसार प्रतिभूति एवं बैंक गारण्टी लौटा दी जावेगी

अनुसूची–क

अनुसूची–ख

अनुसूची–ग

आदि।

जिसके साक्ष्य में इससे संबंधित पक्षों ने प्रथम बार ऊपर लिखे गये दिनांक तथा वर्ष को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

राजस्थान के राज्यपाल के लिए तथा
उनकी ओर से कार्य करते हुए
.....हस्ताक्षर

साक्षीगण–1.....

साक्षीगण–2.....

की उपस्थिति में

साक्षीगण–1.....

साक्षीगण–2.....

.....

क्रेता के हस्ताक्षर